

प्रतिभागिता एवं पंजीकरण

राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में शिक्षकों के पंजीकरण हेतु पंजीयन राशि रु 1000/- एवं शोध छात्र/छात्राओं के लिये पंजीयन धनराशि 800/- रखी गयी है। यह राशि शोध पत्र सारांश एवं शोध पत्र के साथ भेजनी अनिवार्य है। यह राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा 'सेमीनार हिन्दी विभाग, डीएसएमएनआरयू' के नाम देय होगी। कृपया पंजीकरण राशि शोध पत्र सारांश के साथ भेजकर आयोजकों का सहयोग करने की कृपा करें।

संगोष्ठी स्थल

'अटल प्रेक्षागृह'

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
मोहान रोड, लखनऊ, उ.प्र.।

संगोष्ठी के मुख्य उप-विषय

समावेशी भारत: सशक्त भारत
समावेशी विकास एवं रोजगार
तृणमूल विकास-अन्त्योदय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पुनर्वास
वित्तीय समावेशन
ग्रामीण विकास का परिदृश्य
गरीबी, बेरोजगारी एवं असमानताएँ
दिव्यांगजन शिक्षा का समावेशी प्रतिमान
सांकेतिक भाषा, ब्रेललिपि एवं अन्य सॉफ्टवेयर
कौशल विकास
दिव्यांगजन हेतु बाधरहित परिवेश- सुगम्य भारत
समावेशी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति
समावेशी शिक्षा एवं सामाजिक विकास
समावेशी भारत : चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ

उद्घाटन सत्र (पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 01:30 बजे)
भोजनावकाश : (अपराह्न 01:30 से 02:30 बजे)
प्रथम तकनीकी सत्र (अपराह्न 02:30 से 04:00 बजे)
द्वितीय तकनीकी सत्र (अपराह्न 04:00 से 05:00 बजे)

राष्ट्रीय संगोष्ठी
'समावेशी भारत, समावेशी शिक्षा'
(मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017)

सेवा में,

प्रेषक :

डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव

अध्यक्ष, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ-226017

दूरभाष : 7705903017, 9415924888



डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के

प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में

'समावेशी भारत, समावेशी शिक्षा'

विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

(मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017 पूर्वाह्न 11:00 बजे)

स्थल : 'अटल प्रेक्षागृह'

मुख्य अतिथि

श्री थावरचंद गहलोत

माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

अध्यक्षता

श्री राम नाईक

माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

विशिष्ट अतिथि

श्री हृदय नारायण दीक्षित

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

विशिष्ट अतिथि

श्री ओम प्रकाश राजभर

माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

उत्तर प्रदेश

मुख्य वक्ता

श्री इन्द्रेश कुमार

माननीय सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

संरक्षक

प्रो. (डॉ.) निशीथ राय

कुलपति

संयोजक

डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव

अध्यक्ष, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
राष्ट्रीय संगोष्ठी
'समावेशी भारत, समावेशी शिक्षा'
(मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017)

मूल विचारणा

भारत विविधताओं का देश है। यह सर्वांगीण विकास के लिये सतत समर्पित एवं प्रयत्नशील है। वस्तुतः समावेशी भारत की यही मूल विचारणा है। समावेश शब्द का अर्थ विभिन्न संदर्भों तथा विभिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिन्न हो सकता है। किन्तु समावेशी भारत पहल का मुख्य लक्ष्य है बौद्धिक एवं विकासात्मक विकलांगताओं से ग्रस्त दिव्यांगजन को समाज की सभी गतिविधियों में पूर्ण भागीदार बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना। 'समावेशी भारत' राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार की एक नवीन पहल है। इसमें मुख्य फोकस देश के बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को समाज की विभिन्न गतिविधियों में समाविष्ट कर एक समावेशी भारत के निर्माण करना है। हमारा प्रयास है कि सभी दिव्यांगजन पूर्ण अधिकारों के साथ समाज की प्रत्येक गतिविधि में समान रूप से भाग ले सकें। अन्य व्यक्तियों के समान ये दिव्यांगजन भी अपने सामर्थ्य एवं विशिष्टताओं के आधार पर अपनी पहचान बना सकें। इस अभियान के माध्यम से हम ऐसे समाज की ओर अग्रसर हैं जहाँ दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग लोग समान रूप से समाज में रहकर उसके उन्नयन में योगदान दे सकेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2006 में जारी घोषणा पत्र (UNCRPD) के लक्ष्यों के अनुरूप यह अभियान विकासात्मक एवं बौद्धिक दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों की विद्यालयों, महाविद्यालयों, समाज तथा कार्यस्थलों में बराबर की भागीदारी के लक्ष्य को रेखांकित करता है। समावेशीकरण के बढ़ने से न सिर्फ हमारे दिव्यांगजनों में अपनेपन की भावना का विकास होगा और उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास अधिक सुगम हो सकेगा बल्कि समाविष्ट होकर हमारा समाज अधिक सशक्त एवं समृद्ध हो सकेगा। राष्ट्रीय न्यास का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगजनों के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिये काम करना है एवं ऐसे वातावरण को बनाना जहाँ बौद्धिक दिव्यांगजनों एवं उनके परिवार के लोगों को सम्मान मिले एवं वे समान रूप से भाग ले सकें। दिव्यांगों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिये परमावश्यक है कि उन्हें समावेशी शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाय।

समावेशी विश्वविद्यालय

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गयी। इस विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य समावेशी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से दिव्यांगजन का सशक्तिकरण एवं उनको मुख्यधारा में जोड़ना है। अन्तरराष्ट्रीय मानकों पर विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन हेतु यह विश्वविद्यालय निरन्तर कटिबद्ध एवं प्रयासरत् है। विश्वविद्यालय को बाधारहित वातावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 'राष्ट्रीय विकलांगता पुरस्कार-2014' से पुरस्कृत किया गया है। इस विशिष्ट विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें दिव्यांगजन हेतु आरक्षित हैं, जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् कुल सीटों का 25 प्रतिशत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु आरक्षित हैं। विश्वविद्यालय एक समावेशी कक्षा-संरचना में दिव्यांग एवं अन्य विद्यार्थियों को शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं शोध की सुविधाएँ प्रदान करता है। यह शैक्षणिक समावेशन के विशिष्ट प्रकल्प को दर्शाता है। माननीय श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष हैं। माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् के अध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 एफ एवं 2बी के अन्तर्गत यह विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य एक बाधारहित वातावरण में विशेष रूप में दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है।

विश्वविद्यालय का पूर्णतया बाधारहित हरित परिसर 131 एकड़ भू-क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त यह विश्वविद्यालय ज्ञान एवं शोध के नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में शाश्वत कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय में अन्तरविषयक एवं बहुविषयक अध्ययन को वरीयता दी जाती है। विश्वविद्यालय के प्रथम पूर्णकालिक कुलपति के रूप में प्रो. (डॉ.) निशीथ राय ने जब अपना कार्यभार 28 जनवरी, 2014 को ग्रहण किया तब उस समय 3 संकायों के 11 विभागों के अन्तर्गत 484 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 08 संकायों-कला, वाणिज्य, विशेष शिक्षा, विधि, संगीत एवं ललित कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इन्जीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी में 29 विभागों के अन्तर्गत 4500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं; जिनमें से 751 दिव्यांग हैं। गुणवत्तापरक रोजगारमूलक विभिन्न पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु

समाज, बाजार एवं उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गयी है जो शिक्षण एवं शोध के राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। विश्वविद्यालय में सेमेस्टर आधारित क्रेडिट प्रणाली लागू है। विभिन्न विभागों में यूजीसी के मानकानुरूप पी-एच.डी. कार्यक्रम भी संचालित है।

विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं मेस सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। बधिर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय में 'भारतीय सांकेतिक भाषा एवं बधिर अध्ययन केन्द्र' स्थापित किया गया है। दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग प्रदान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय में 'कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र' स्थापित है।

भारतीय पुनर्वास परिषद्, भारत सरकार के रिसोर्स सेन्टर के रूप में विश्वविद्यालय में 'सेन्टर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज' संचालित है। भोजपुरी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता एवं देशज ज्ञान के पठन-पाठन एवं उत्कृष्ट शोध हेतु 'भोजपुरी अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र', की स्थापना की गई है। विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व एवं कैरियर विकास हेतु 'कैरियर गाइडेन्स एण्ड काउंसलिंग प्रकोष्ठ', 'क्रीड़ा एवं योग प्रकोष्ठ' तथा 'सांस्कृतिक प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की ऐसी संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है जो नैतिक पाठ्यक्रमों के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। एक बाधारहित एवं अनुशासनस्फूर्त वातावरण में उत्कृष्ट शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों के लिए यह विश्वविद्यालय पूर्णतया समर्पित है।

शोधपत्र सारांश एवं शोधपत्र

प्रतिभागी अपने शोध पत्र एवं शोध सारांश 18 सितम्बर, 2017 तक टंकित प्रति के साथ शोध सारांश सहित अधिकतम (500 शब्द) हिन्दी एम0एस0 वर्ल्ड में कृति देव 10 (हिन्दी) में एक हार्ड कापी (कम से कम 3000 शब्दों में) के साथ सीडी में प्रेषित करें। शोध सारांश के साथ शोध पत्र भी प्रेषित करें। शोध पत्रों का प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में (यूजीसी के मानकों के अनुसार) किया जायेगा। शोध पत्र सार एवं शोध पत्रों को हमारे ई-मेल पर भी भेजा जा सकता है।

ई-मेल:-hindidepartmentdsmnru@gmail.com,
dr.virendrayadav@gmail.com